संख्या- 01/2025/3955/चार-2024

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2-निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के पत्र संख्या-958/उ0प्र0सं0नि0-(कुम्भ-2025)/2024-25पार्ट-2, दिनांक 30.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु **रू0 66,08,000/- (रूपये छाछठ लाख आठ हजार मात्र)** की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु **रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति शासन के पूर्व शासनादेश संख्या-3439/चार-2024-1823487, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति/ संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(3) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।
(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://upgovt.gov.in

(9) संस्कृति निदेशालय में तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, अत: किसी अन्य सरकारी संस्थान से तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें लेते हुए तकनीकी निविदा प्रपत्र तैयार कराते हुए वित्तीय औचित्य के मानकों एवं क्रय के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर प्रस्तावित प्रदर्शनियों संबंधी कार्य पूर्ण करायी जायेगी तथा कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशियों के बिल वाउचर सत्यापित कर व्यय की गयी धनराशि के बिल भुगतान हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या -01/2025 /3955(1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।